तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ताम... जारी हुए
	राजस्व विविध स. 72/2014 ग्राम ढोला शासन बनामः वेनसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 व सपठित आदेश–39, नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.	

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष 2016

दिनांक 29.06.2016

पक्षकारान उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–ढोला में बरोज आज पेश हुई। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप इस पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड स्थिति अनुसार सरहद मौजा ढोला शासन, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 976, 977, 979 कुल रकबा 3.1980 हेक्टर से संबंधित पक्षकारों के मध्य खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु मूल वाद पत्रावली विचारार्थ है तथा मूल वाद पत्रावली का वाद–विषयक स्थिति के बारे में गुणावगुण के आधारित विधिसम्मत निर्णय करने में समय लगेगा, इसलिए मूल वाद पत्रावली का निस्तारण न हो जाए तब तक इस पत्रावली के जरिए प्रार्थीपक्ष ने अप्रार्थीपक्ष के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

हमने, लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारा विधिक मत है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधित मूल वाद पत्रावली का विधिसम्मत निस्तारण नहीं हो जाए, तब तक वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् कायम रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीपक्ष का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीपक्ष के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ढोला शासन, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 976, 977, 979 कुल रकबा 3.1980 हेक्टर से संबंधित मूल वाद पत्रावली का विधिसम्मत निस्तारण नहीं हो जाए, तब तक उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को यथावत् कायम रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। दोनों पक्षकारान इस आदेश की पालना सुनिश्चित् करेंगे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 29.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र–ढोला में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज)

Scanned by CamScanner